

समाहरणालय, गढ़वा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत नियुक्ति संबधी विज्ञापन

सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं0-3048, दिनांक-22.08.2019 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रखण्ड समन्वयक हेतु नवसृजित पद एवं सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना सं0-1016, दिनांक-01.03.2017 के आलोक में जिला/प्रखण्ड स्तरीय लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। विवरणी निम्नवत् है-

A. जिला स्तर पर :-

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	उम्र	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
1	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित-01	18-30 वर्ष	15000/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA)/Advance Diploma in Computer Application (ADCA), Diploma in IT (DIT)/Certificate in Accountancy (CIA) के साथ 01 वर्ष का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

B. प्रखण्ड स्तर पर :-

क्र0	पद का नाम	रिक्ति की संख्या	उम्र	मासिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रखण्ड समन्वयक	अनारक्षित-02 अ0पि0व0-01 कुल-03	22-45 वर्ष	18000/-	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थानों से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण एवं कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव।
2	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	अनारक्षित-02	18-30 वर्ष	10000/-	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों से वाणिज्य (Commerce) विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं Diploma in Computer Application (DCA)/Advance Diploma in Computer Application (ADCA), Diploma in IT (DIT)/Certificate in Accountancy (CIA) के साथ 06 माह का कार्यानुभव तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता अनिवार्य।

- उम्र सीमा :-** उम्र की गणना 01.09.2019 के आधार पर की जायेगी।
- आरक्षण रोस्टर :-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2020, दिनांक-09.04.2010 के आलोक में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा।
- आवेदन हेतु पात्र :-** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक-3854 दिनांक-01.06.2018 एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक-3036, दिनांक-18.07.2018 के आलोक में गढ़वा जिला के स्थानीय निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे।
- नियुक्ति प्रक्रिया :-** नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता (अनिवार्य/वांछनीय), अनुभव एवं दक्षता जाँच के अंको के कुल प्राप्तांकों पर आधारित होगी।
- मेधा सूची -**
 - सभी पदों के लिए खुला विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी। एक पद के विरुद्ध न्यूनतम अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। प्रारंभिक मेधा सूची अनिवार्य/वांछनीय शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (जहां आवश्यक हो) के प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जायेगी।

- ii. सभी श्रेणी के पदों की रिक्तियों के विरुद्ध अभ्यर्थियों को दक्षता जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- iii. दक्षता जाँच में कम्प्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा।
- iv. अंतिम मेधा सूची में पदवार रिक्ती का दोगुना नाम पैनल के रूप में रहेगा, जो अधिकतम 01 वर्ष के लिए बैध रहेगा। उपरोक्त पदों पर 01 साल के अंदर होने वाले रिक्ति इसी से भरे जायेंगे।
- v. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंतिम मेधा सूची में टाई की स्थिति में उम्र में वरीय को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि उम्र बराबर हो तो स्थानीयता को प्राथमिकता दी जायेगी तथा यदि सभी के स्थानीयता समानता होने की दशा में लौटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

6. मूल्यांकन –

- i. आवेदक का मूल्यांकन 100 अंको पर किया जायेगा, जो निम्न खण्डों में विभाजित रहेगा—


अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	वांछित अनुभव	दक्षता जाँच		कुल योग
		विषय ज्ञान	कंप्यूटर ज्ञान	
50	20	10	20	100

- ii. कम्प्यूटर जाँच में उर्तीणता का स्तर 40 प्रतिशत रहेगा यानि 10 में से 04 अंक लाना अनिवार्य होगा।
- iii. चयन की पात्रता हेतु कुल निर्धारित 100 अंको में से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 अंक तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 अंक लाना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक लाने पर नियुक्ति हेतु अयोग्य माने जायेंगे।
- iv. कम्प्यूटर ज्ञान हेतु चयन समिति कम्प्यूटर टंकण की जाँच ले सकती है।

7. सेवा शर्त –


- i. प्रारम्भिक चरण में संविदा के आधार पर ऐसी नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जायेगी। प्रत्येक वर्ष उनके कार्यों का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं मूल्यांकन में प्रगति संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवा से हटाने पर विचार किया जा सकेगा। नवीकरण नहीं होने की स्थिति में ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। नियुक्ति के लिए गठित की गई चयन समिति ही इस प्रयोजनार्थ नवीकरण के लिए समिति मानी जायेगी, जो अधिकतम 2022 तक इनकी संविदा अवधि विस्तारित करने की अनुशंसा कर पायेगी।
- ii. आवश्यकतानुसार उपर्युक्त प्रखण्ड समन्वयक को किसी अन्य जिला में स्थानांतरण का अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
- iii. यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मि की सेवा नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त की जा सकेगी।

- IV. उपर्युक्त अवधि में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मों को किसी अन्य स्थान/संस्था इत्यादि में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- V. संविदा अवधि का नवीकरण कर्मियों के क्षमताओं, निधि की उपलब्धता तथा योजना की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।
- VI. कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मानदेय में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि देय होगी।
- VII. पदाधिकारी/कर्मों को देय एकमुश्त वेतन के अन्तर्गत ही यात्रा, दूरभाष एवं इन्टरनेट की सुविधा सम्मिलित होगी।
- VIII. आवेदक को योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा। कर्मों को मात्र सरकारी कार्यों से देश के अन्दर यात्रा करने हेतु राज्य के नियमों के अन्तर्गत यात्रा व्यय का भुगतान किया जायेगा।
- IX. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिर्फ आकस्मिक अवकाश संविदा कर्मों को देय होगा।
- X. नियुक्त कर्मियों को जिला द्वारा तैयार किये गये अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
8. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया – इच्छुक आवेदक दिनांक-19.06.2020 से 29.06.2020 तक विभागीय पोर्टल <http://applyrdd.jharkhand.gov.in> एवं garhwa.nic.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं तथा विज्ञापन की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
9. कोई अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
10. आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग-अलग ऑनलाईन आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।
11. ऑनलाईन आवेदन में (क) सभी प्रकार के शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, (ख) अंक पत्र, (ग) अनुभव प्रमाण-पत्र, (घ) जाति प्रमाण-पत्र, (ङ) निवास प्रमाण-पत्र, (च) जन्म तिथि हेतु मैट्रिक का अंक-पत्र/प्रमाण-पत्र एवं (छ) अन्य प्रमाण-पत्र दस्तावेज को अपलोड करना आवश्यक होगा।
12. विभागीय पोर्टल पर दिये गये फाईल साईज के अनुसार ही फोटो, प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज अपलोड करेंगे।
13. फाईल साईज से कम साईज में फोटो, प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज अपलोड करने पर या स्पष्ट नहीं होने पर अपठनीय स्थिति में प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज मान्य नहीं होगा तथा इस संबंध में कोई दावा आपत्ती स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।



उपायुक्त,
गढ़वा।

प्रतिलिपि- ज्ञापांक.....604...../ डी.आर.डी.ए., दिनांक...18/06/2020
सरकार के अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत जिला/प्रखण्ड स्तरीय नव सृजित एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराया जाय।



उपायुक्त,
गढ़वा।